



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 16.04.2021

1-थाना बिसरख पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.04.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 125/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर में वांछित अभियुक्त शिवा बाल्मिकी पुत्र धीरज बाल्मिकी निवासी ग्राम खोदना खुर्द थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के एलीवन कम्पनी, चैगानपुर गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण:

शिवा बाल्मिकी पुत्र धीरज बाल्मिकी निवासी ग्राम खोदना खुर्द थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण:

1.मु0अ0सं0 125/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 657/2020 धारा 392 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 658/2020 धारा 307/411/482/34 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0 437/2020 धारा 392/411 भादवि थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर।



2-थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस द्वारा धोखाधडी कर फर्जी तरीके से परीक्षा देने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक प्रवेश पत्र,आधार कार्ड,पेन कार्ड व एक फोटो बरामद।

दिनांक 15.04.2021 को थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस द्वारा धोखाधडी कर फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहे 01 अभियुक्त मयंक राज पुत्र हर्षवर्धन प्रसाद निवासी गली नं0-सी, विजय नगर थाना पत्रकार जिला पटना बिहार को थाना क्षेत्र के आईओन डिजीटल जोन सी-30/7ए सेक्टर-62 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड व एक फोटो बरामद हुआ है।

दिनांक 15.04.2021 को आईओन डिजीटल जोन सी-30/7ए सेक्टर-62, नोएडा में चल रही एसएससी की परीक्षा में अभियुक्त मयंक राज द्वारा राजाराम मीना के स्थान पर धोखाधडी कर परीक्षा देने आया था जिसको चेकिंग के दौरान पकडा गया है।

अभियुक्त का विवरण:

मयंक राज पुत्र हर्षवर्धन प्रसाद निवासी गली नं0-सी, विजय नगर थाना पत्रकार जिला पटना बिहार।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 163/2021 धारा-419, 420, 120बी भादवि व 3/09 व 6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधि0 थाना सेक्टर 58, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

- 1.एक प्रवेश पत्र
- 2.आधार कार्ड
- 3.पेन कार्ड
- 4.एक फोटो

3-थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा फर्जी एग्रीमेन्ट के द्वारा धोखाधडी करके गाड़ियों को किराये के नाम पर लेकर अन्य शहरो व राज्यो में तस्करो व अन्य लोगों को धोखा देकर गाड़ी बेच देने वाले गिरोह का 01 शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 12 भिन्न-भिन्न कम्पनियों की गाड़ियां बरामद।

दिनांक 15.04.2021 को थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा फर्जी एग्रीमेन्ट के द्वारा धोखाधडी करके गाड़ियों को किराये के नाम पर लेकर अन्य शहरो व राज्यो में तस्करो व अन्य लोगों को धोखा देकर गाड़ी बेच देने वाले गिरोह का 01 शातिर सदस्य अभियुक्त आसिफ पुत्र हाकिम निवासी इनायतपुर जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता सिद्धीपुर लोहबा थाना बहादुरगढ जिला बहादुरगढ हरियाणा को थाना क्षेत्र के

साईट 4 के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 12 भिन्न-भिन्न कम्पनियों की गाड़ियां बरामद की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

आसिफ पुत्र हाकिम निवासी इनायतपुर जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता सिद्धीपुर लोहबा थाना बहादुरगढ जिला बहादुरगढ हरियाणा।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0स0- 239/2021 धारा 406/420/506/411/120 बी भादवि थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1. UP 16 CM ब्रेजा ग्रे कलर
2. UP 16 CM 8637 बुलेरो सफेद रंग
3. UP16CS9602 बलेनो ग्रे कलर
4. UP16CR1529 अर्टिगा सिल्वर रंग
5. DL14CE7912 ब्रेजा ग्रे कलर
6. HR29AQ6131 CIAZ सफेद रंग
7. DL14CE4281 स्विफ्ट ग्रे कलर
8. UP16BQ0308 ब्रेजा लाल रंग
9. DL8CZ3200 वर्ना सफेद रंग
10. UP16BR9271 INNOVA ग्रे कलर
11. HR29AM0399 स्कॉर्पियो सफेद रंग
12. UP16CP5952 सियाज कार



4-थाना बिसरख पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.04.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 01/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर में वांछित अभियुक्त अरविन्द भाटी पुत्र महीपाल भाटी निवासी ग्राम व थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के भीमा गोल चक्कर ग्राम बिसरख से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण:

अरविन्द भाटी पुत्र महीपाल भाटी निवासी ग्राम व थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण:

1.मु0अ0सं0 01/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 528/2020 धारा 302/120बी भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।



5-थाना जेवर पुलिस व आबकारी टीम द्वारा 03 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 25 पेटी अवैध शराब (कीमत लगभग 01 लाख रुपए) व शराब तस्करी में प्रयुक्त 01 गाडी बरामद।

दिनांक 16/04/2021 को थाना जेवर पुलिस व आबकारी टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 03 शराब तस्कर 1. सचिन पुत्र धर्मवीर निवासी रिशालू थाना छतीरा जिला बुलन्दशहर 2.मुनेश पुत्र महीपाल निवासी रिशालू थाना छतारी जिला बुलन्दशहर 3.मनोज पुत्र श्रीराम निवासी रिशालू थाना छतारी जिला बुलन्दशहर को थाना क्षेत्र के बेगमाबाद अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 25 पेटी अवैध शराब कीमत लगभग 01 लाख रुपए (08 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब नाईट ब्लू मेट्रो फॉर सेल इन हरियाणा ओनली, 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब 555 गोल्ड व्हिस्की फॉर सेल इन हरियाणा ओनली, 03 पेटी अवैध शराब कन्ट्री लिकर फॉर सेल इन हरियाणा ओनली, 01 पेटी अवैध शराब ऑफिसर च्वाइस ब्लू फॉर सेल

इन हरियाणा ओनली,03 पेटी अवैध देशी शराब मस्ताना फॉर सेल इन हरियाणा ओनली) मय शराब तस्करी में प्रयुक्त 01 गाडी पिकअप गाडी नम्बर यूपी 13 एटी 9433 बरामद की गई है।

अभियुक्त शराब को पंचायती चुनाव में प्रयोग हेतु ले जा रहे थे।

अभियुक्तों का विवरण:

1. सचिन पुत्र धर्मवीर निवासी रिशालू थाना छतीरा जिला बुलन्दशहर।
2. मुनेश पुत्र महीपाल निवासी रिशालू थाना छतारी जिला बुलन्दशहर।
3. मनोज पुत्र श्रीराम निवासी रिशालू थाना छतारी जिला बुलन्दशहर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 167/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी विवरण का विवरण:

1. 25 पेटी अवैध शराब कीमत लगभग 01 लाख रुपए (08 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब नाईट ब्लू मेट्रो फॉर सेल इन हरियाणा ओनली, 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब 555 गोल्ड व्हिस्की फॉर सेल इन हरियाणा ओनली, 03 पेटी अवैध शराब कन्ट्री लिकर फॉर सेल इन हरियाणा ओनली, 01 पेटी अवैध शराब ऑफिसर च्वाइस ब्लू फॉर सेल इन हरियाणा ओनली, 03 पेटी अवैध देशी शराब मस्ताना फॉर सेल इन हरियाणा ओनली)।

2. शराब तस्करी में प्रयुक्त 01 गाडी पिकअप गाडी नम्बर यूपी 13 एटी 9433



#जनपद में कोविड 19 संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के सभी थानों/कोतवाली, अन्य सरकारी संस्थानों/इमारतों में सेनेटाईजेशन का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 16/04/2021 को मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 108, ब्रह्मपुत्रा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ग्राम निठारी मार्केट, पुलिस चौकी सेक्टर 29, मार्केट सेक्टर 46, सदरपुर मार्केट, अट्टा मार्केट, सेक्टर 12 मार्केट, सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन, ओरिएंटल बैंक सेक्टर 63, पुराना कोर्ट, ग्राम गेझा मार्केट, सेक्टर 104 हाजीपुर मार्केट, सेक्टर 110 मार्केट, सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 135 मार्केट, गोवर्धन सेक्टर 128 मार्केट, ग्राम बख्तावरपुर सेक्टर 127 मार्केट, सेक्टर 126 मार्केट, जगत फार्म मार्केट, मेट्रो स्टेशन सेक्टर 137, मेट्रो स्टेशन सेक्टर 142 आदि भीड़ वाले व सार्वजनिक स्थानों पर सेनेटाईजेशन कराया गया।

यह अभियान प्रतिदिन जनपद के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर जारी रहेगा।



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड 19 संक्रमण के तहत बिना मास्क लगाकर चलने वालों पर जुर्माना राशि में वृद्धि करते हुए 1000 रुपये की गई है व पुनः बिना मास्क के मिलने पर जुर्माना राशि 10000 वसूली जायेगी। उक्त आदेश की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिए स्वयं पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह ने संभाली कमान।

मुख्य मार्केट व अन्य सार्वजनिक जगहों का भ्रमण कर आमजन को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए किया प्रेरित।

बिना मास्क लगाने वालों पर कार्यवाही के लिए दिए सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश।

जनपद में कोविड-19 महामारी के पुनः संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर, माइक मोबाइल जीप, पैदल गश्त टीम व स्वयं पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइन्स, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, दो गज की दूरी व रात्रि कर्फ्यू के सम्बंध में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति कोविड सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जाएगा। इसी के क्रम में दिनांक 16.04.2021 को रात्रि 10 बजे तक बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वालों पर विशेष अभियान चलाकर 5525 व्यक्तियों पर चालान की कार्यवाही करते हुए 6,21,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया। जिसमे 18 व्यक्तियों पर संशोधित 1000 रुपये की दर से चालान किया गया। 1719 वाहनों का चालान करते हुए कुल 121,000 रुपये शमन शुल्क वसूला गया साथ ही 09 वाहनों को सीज भी किया गया।

103 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 27 अभियोग पंजीकृत किये गये।

